

गढ़वाल हितैषिणी सभा (पंजी.) दिल्ली

(स्थापित सन् 1923)

(रजिस्ट्रेशन नं. S/184)

(02 नवम्बर-2019 को सम्पन्न महासमिति की विशेष बैठक द्वारा पारित संशोधित संविधान)

महासमिति द्वारा पारित संशोधित नियमावली-2019



गढ़वाल भवन, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली चौक,
पंचकुईयाँ रोड, नई दिल्ली-110001

CERTIFIED COPY

N.S. Negi

Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Shri Rajesh Singh Rana

Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Pawan Kumar Maithani

Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

गढ़वाल हितैषिणी सभा (पंजी.)दिल्ली

महासमिति की विशेष बैठक

दिनांक : 02 नवम्बर-2019, शनिवार

समय : अपराह्न 3:00 बजे

स्थान : गढ़वाल भवन, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली चौक,
पंचकुईया रोड, नई दिल्ली

एक सूत्रीय एजेन्डा:-

गढ़वाल हितैषिणी सभा(पंजी.)दिल्ली के वर्तमान में क्रियान्वित सन् 1941 के संविधान में सभा द्वारा गठित संविधान संशोधन समिति-2019 व कार्यकारिणी द्वारा संविधान के नियम-विनियमों में सुझाये गये संशोधनों के प्रारूप को महासमिति की विशेष बैठक में महासचिव द्वारा विचारार्थ व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत :-



P. K. Maithani
(पवन कुमार मैठाणी)
महासचिव(अवैतनिक)

CERTIFIED COPY

सूचनार्थ:-

1. सभा के सभी आजीवन सदस्यों को महासमिति की विशेष बैठक की सूचना पत्र द्वारा देना
2. सभा के सूचना पट्ट पर (आजीवन सदस्यों के लिए)
3. सभा की वेबसाइट, सोशल साइट में महासमिति की विशेष बैठक की सूचना प्रसारित करना
4. आजीवन सदस्यों को दूरभाष, मोबाइल व एस.एम.एस. द्वारा महासमिति की विशेष बैठक की सूचना देना

N. S. Negi

Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Rajesh Rana 2

Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

P. K. Maithani

Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

1. **संस्था का नाम :-** गढ़वाल हितैषिणी सभा (पंजी.) दिल्ली
 - नोट: इस नियमावली में गढ़वाल शब्द से अभिप्राय उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण गढ़वाल मण्डल क्षेत्र के गढ़वाली निवासी से होगा।
 - गढ़वाल हितैषिणी सभा के लिए आगे केवल 'सभा' शब्द का प्रयोग किया गया है।
2. **संस्था का पंजीकृत कार्यालय:-** गढ़वाल भवन, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली चौक, पंचकुइया रोड, नई दिल्ली-110001 होगा।
3. **उद्देश्य:-**
 - (क) गढ़वाल मण्डल के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति एवं विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना एवं कार्य करना।
 - (ख) सभा, गढ़वाली बंधुओं में एकता, भाई-चारा बढ़ाने, सुख-दुःख में साथ देने तथा असहाय, निराश्रित तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने का यथा-सम्भव प्रयास करेगी।
 - (ग) सभा पूर्णतः गैर-राजनीतिक होगी।
 - (घ) समय-समय पर सांस्कृतिक, रंग-मंचीय, खेल-कूद, शैक्षणिक, पारंपरिक, लोक-कला, भाषा एवम् साहित्यिक कार्यकलापों के साथ-साथ खेल-कूद इत्यादि का आयोजन करना।
 - (ङ) पत्र-पत्रिकाओं/स्मारिकाओं का प्रकाशन करना व प्रकाशन के माध्यम से समय-समय पर सभा की विभिन्न गतिविधियों से सभा के आजीवन सदस्यों को सूचित करना।
 - (च) गढ़वाल मण्डल के असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित करना।
 - (छ) प्रतिभावान, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा अनश्रितों, शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रयत्नशील रहना।
 - (ज) समाज के विद्यार्थियों के मार्ग दर्शन हेतु समय-समय पर करियर काउन्सिलिंग व कार्यशालाओं का आयोजन करना।
 - (झ) गढ़वाल के पारंपरिक कुटीर, लघु उद्योगों को संरक्षण देते हुये उनके प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करना व वन सम्पदा एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु निरंतर प्रयास करना।
 - (ञ) परंपरागत व आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति, कम्प्यूटरीकृत प्रौद्योगिक संस्थानों की स्थापना हेतु प्रयास करना।
 - (ट) सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करने व दान प्राप्त करने का अधिकार होगा।
 - (ठ) गढ़वाल मण्डल की युवा ओर महिला शक्ति को रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना।
 - (ड) गढ़वाली संस्कृति व लोक भाषा के उत्थान हेतु सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ संगीत एवं नृत्य केन्द्रों के स्थापना हेतु प्रयास करना।



CERTIFIED COPY

N.S. Negi
Narender Singh Negi
 President
 Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
 Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
 New Delhi-110001

Shri Rajesh Singh Rana
 Treasurer
 Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
 Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
 New Delhi-110001

Pawan Kumar Maithani
 General Secretary
 Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
 Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
 New Delhi-110001

- (ढ) गढ़वाली भाषा एवं बोली के विकास के लिए गढ़वाली अकादमी की स्थापना के लिए सतत् प्रयास करना।
- (ण) गढ़वाल मण्डल की जन-समस्याओं के निदान हेतु गोष्ठियां, सभाएं एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना और संबंधित सरकारी/गैर सरकारी विभागों से सम्पर्क कर, समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्यवाही कराना।
- (त) गढ़वाल मंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत् प्रयास करना।
- (द) विशेष परिस्थितियों में, देश में किसी भी प्रकार की असामयिक/ प्राकृतिक आपदा के समय बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक भारतीय की यथा संभव सहायता करना।
- (थ) गढ़वाल क्षेत्र की अन्य समान उद्देशीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना।
- (द) सभा समाज के उत्थान के लिये वे सभी कार्य करेगी जिनसे सभा के मूल-उद्देश्यों की पूर्ति होती होगी।

4. सदस्यता :-

- (क) दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी वयस्क मूल रूप से गढ़वाली, जिसे सभा के नियम एवं उद्देश्य मान्य हों, वह सभा द्वारा निर्धारित आजीवन सदस्यता शुल्क ग्यारह सौ रुपये (Rs. 1,100/-) देकर सभा का आजीवन सदस्य बन सकता है। यह नियम 02 नवम्बर, 2019 के बाद आने वाले आजीवन सदस्यों पर लागू होगा।
- (ख) आजीवन सदस्यता शुल्क ग्यारह सौ रुपये (Rs. 1,100/-) में सभा भविष्य में समय की मांग के अनुसार संशोधन कर सकती है।
- (ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ न्यायालय द्वारा दीवालिया घोषित व जघन्य अपराध के लिए सजायाप्राप्त व्यक्ति सभा का सदस्य नहीं बन सकता।
- (घ) सभा के सदस्य बनने के इच्छुक योग्य व्यक्ति को अपने दिल्ली के वर्तमान आवासीय पता प्रमाण सहित देने के साथ-साथ गढ़वाल के मूल निवास का पता भी देना होगा।
- (ङ) सभा का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति को सभा द्वारा निर्धारित सदस्यता परिपत्र (फार्म) पर सभा के दो आजीवन सदस्यों से अपना नाम प्रस्तावित कराना अनिवार्य होगा।
- (च) सभा द्वारा जब भी नया सदस्यता अभियान चलाया जायेगा उस अभियान के तहत सभा का आजीवन सदस्य एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के नाम को नया सदस्य बनने के लिये प्रस्तावित कर पायेगा।
- (छ) सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सदस्यता संबंधी किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने पर कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से सदस्य की सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा, यदि ऐसा होता है तो सभा द्वारा उसकी सदस्यता निरस्त कर सदस्यता शुल्क भी जब्त कर लिया जायेगा।
- (ज) एक कार्यकारिणी अपने एक कार्यकाल में अधिकतम तीन सौ नये सदस्य बना सकती है।
- (झ) सभा के सीमित संसाधनों को मध्य-नजर रखते हुये सभा के आजीवन सदस्य अधिकतम दस हजार तक ही बनाये जायेंगे।



CERTIFIED COPY

N.S. Negi
Narender Singh Negi
President
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

5. सदस्यता समाप्त करना :-

- (क) त्यागपत्र देने पर।
(ख) मृत्यु होने पर मानसिक संतुलन बिगड़ने, दिवालिया होने तथा जघन्य अपराध के लिए सजा होने पर।
(ग) सभा के नियमों, उद्देश्यों एवं उप नियमों के उल्लंघन करने के साथ-साथ सभा की चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर।
(घ) सदस्यता समाप्त करने से पहले सदस्य को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा, जिस पर अंतिम निर्णय कार्यकारिणी का होगा।

6. कार्यकारिणी :-

- (क) महासमिति के सदस्यों में से ही कार्यकारिणी का गठन होगा।

कार्यकारिणी में कुल 32 (बत्तीस) सदस्य होंगे। जिनमें 25 (पच्चीस) महासमिति द्वारा निर्वाचित और 5 (पाँच) कार्यकारिणी के परामर्श एवम् सहमति से अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे और नि-वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महासचिव कार्यकारिणी के पदेन/विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। महासमिति द्वारा कार्यकारिणी के संचालन के लिए निम्नलिखित निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे :-

पद	संख्या
अध्यक्ष	1 (एक)
उपाध्यक्ष	1 (एक)
महासचिव	1 (एक)
सचिव	1 (एक)
कोषाध्यक्ष	1 (एक)
उप-कोषाध्यक्ष	1 (एक)
संगठन सचिव	1 (एक)
सांस्कृतिक सचिव	1 (एक)
साहित्यिक सचिव	1 (एक)
खेल सचिव	1 (एक)
सदस्य कार्यकारिणी	15 (पंद्रह)
मनोनीत-सदस्य	5 (पाँच)
नि-वर्तमान अध्यक्ष एवं महासचिव (पदेन/आमंत्रित सदस्य होंगे) लेकिन उन्हें किसी प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।	



CERTIFIED COPY

N.S. Negi

Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Rajesh

Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Maithani

Pawan Kumar Maithani
General Secretary

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

(ख) गढ़वाल मण्डल के तत्कालीन सांसद व दिल्ली विधान सभा और स्थानीय निकायों के चुने हुए गढ़वाली प्रतिनिधि सभा के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, किन्तु उन्हें सभा के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ग) सलाहकार :-

सभा किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्ति को सभा का सलाहकार अथवा सलाहकार मण्डल का सदस्य मनोनीत कर सकती है।

(घ) उप-समितियाँ :-

सभा के कार्यों की सुगमता के लिए कार्यकारिणी विभिन्न उप-समितियों का गठन कर सकती है।

(ङ.) ऐसा सदस्य जो कार्यकारिणी की लगातार तीन बैठकों में बिना बताये अनुपस्थित रहेगा उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा, और उसके स्थान पर कार्यकारिणी सभा के आजीवन सदस्यों के मध्य में से शेष कार्यकाल के लिए किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकती है।

(च) कार्यकारिणी में रिक्तियाँ :-

कार्यकारिणी में कोई पद यदि किसी पदाधिकारी के त्याग-पत्र देने/मृत्यु होने व अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण रिक्त होता है, तो कार्यकारिणी ऐसे रिक्त पद को पदाधिकारियों एवम् कार्यकारिणी सदस्यों के मध्य में से ही उस पद के लिए योग्य व्यक्ति को शेष कार्यकाल के लिए नियुक्ति/मनोनीत/चयनित कर सकती है। जिसकी पुष्टि आम सभा से करवाना अनिवार्य होगा। आम सभा की पुष्टि होने तक ऐसा नियुक्त व्यक्ति कार्यवाहक/कार्यकारी(Acting)पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(छ) कार्यकारिणी सदस्य :-

कार्यकारिणी सदस्यों की रिक्तियों को कार्यकारिणी सभा के आजीवन सदस्यों के मध्य में से नियुक्ति/मनोनीत/चयनित कर सकती है। जिसकी पुष्टि भविष्य में होने वाली आम सभा में करवाना अनिवार्य होगा।

7. कार्यकारिणी का कार्यकाल :-

(क) कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। विशेष परिस्थितियों में महासमिति में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से कार्यकारिणी के कार्यकाल को केवल छः माह के लिए एक ही बार बढ़ाया जा सकेगा। उसके पश्चात् कार्यकारिणी का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

(ख) विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी के निष्क्रिय होने पर महासमिति में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिकतम 6 माह के लिए तदर्थ समिति गठित की जा सकेगी, जिसका कार्य/दायित्व मुख्यरूप से आगामी चुनाव सम्पन्न करवाना ही होगा।

(ग) कोई भी पदाधिकारी लगातार दो कार्यकाल से अधिक एक ही पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता।



CERTIFIED COPY

N.S. Negi
Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

6
Rajesh
Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Maithani
Pawan Kumar Maithani
General Secretary

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

- (घ) कार्यकारिणी के दस मुख्य पदों के लिये सभा का वही आजीवन सदस्य चुनाव लड़ने का अधिकारी होगा, जो कि सभा की कार्यकारिणी में कम-से-कम एक कार्यकाल में सभा का निर्वाचित पदाधिकारी अथवा कार्यकारिणी सदस्य रहा हो। यह नियम केवल दस मुख्य पदों पर ही लागू होगा।

8. कार्यकारिणी के कर्तव्य :-

- (क) कार्यकारिणी की बैठक माह में एक बार करनी अनिवार्य होगी। इसके लिए कम से कम दो दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।
- (ख) कार्यकारिणी के निर्वाचित पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी सदस्यों को सभा की सभी बैठकों में निरंतर भाग लेना अनिवार्य होगा।
- (ग) आवश्यकतानुसार सभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर प्रस्तावों पर चर्चा एवं नीति निर्धारित करना।
- (घ) सभा के समस्त कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी सम्पूर्ण कार्यकारिणी की होगी।
- (ङ.) सभा के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु कर्मचारियों की समय-समय पर अंशकालीन एवम् तदर्थ नियुक्ति एवं निष्कासन और उनके वेतन भत्ते और कार्यों का निर्धारण करना।
- (च) सभा के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु समय-समय पर अंशकालीन एवम् तदर्थ रूप से समिति/उप-समितियों का गठन करना और कार्यों का निर्धारण करके निष्पादन करना।
- (छ) सभा की सभी चल-अचल सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों का ब्यौरा रखना तथा उनका सही तरह से रख-रखाव करना।
- (ज) कोष व्यवस्था सहित सभा के आय-व्यय का सही हिसाब रखना तथा प्रति वर्ष महासमिति की बैठक में उसका अनुमोदन करवाना।
- (झ) सभा के नियम एवं उप-नियमों में संशोधन का प्रस्ताव करना तथा उनकी महासमिति से पुष्टि करवाना।
- (ञ) गम्भीर आरोप होने पर सभा के किसी भी सदस्य से स्पष्टीकरण मांगना तथा उस पर उचित कार्यवाही करना।
- (ट) कार्यकारिणी सामूहिक रूप से महासमिति के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होगी।
- (ड) कार्यकारिणी की बैठकों के लिए 1/2 निर्वाचित सदस्यों का उपस्थिति होना अनिवार्य होगा अन्यथा बैठक को आधे घंटे के लिए स्थगित कर, तत्पश्चात् बुलाई गई बैठक में उस समय की उपस्थिति निर्धारित संख्या को ही गणपूर्ति (पूरा-कोरम) समझा जायेगा।

9. पदाधिकारियों के अधिकार एवम् कर्तव्य :-

- (i) अध्यक्ष :-
- (क) महासमिति तथा कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करना और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश पारित करना।
- (ख) आपातकालीन स्थिति में विशेष बैठक बुलाना ।
- (ग) सभा के सभी कार्यों की देख-रेख करना।



CERTIFIED COPY

N.S. Negi
Narender Singh Negi
President
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

7
Rajesh
Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Maithani
Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

- (घ) बैठक में अनुशासन कायम रखना।
- (ङ.) समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
- (च) आवश्यकता पड़ने पर एक समय में अधिकतम 20,000/- रुपये की धन राशि तक सभा के आवश्यक कार्यों में खर्च करना और कार्यकारिणी की आगामी बैठक में इसका विवरण प्रस्तुत कर स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
- (छ) सभा सम्बन्धी सभी करारनामों पर हस्ताक्षर करना।

(ii) उपाध्यक्ष:-

अध्यक्ष द्वारा सभा हित में किये जाने वाले कार्यों में पूर्ण सहयोग देना तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपरोक्त वर्णित सभी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करना।

(iii) महासचिव :-

- (क) सभा सचिवालय/कार्यालय की समस्त गतिविधियों का प्रशासनिक तौर पर नेतृत्व, नियन्त्रण व निगरानी करने के साथ-साथ सभा संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यकारी शक्तियों का प्रशासनिक रूप से उपयोग करना।
- (ख) सभा की ओर से सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार करना, बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखना, बैठकों की सूचना प्रसारित करना।

(ग) सभा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखना।

(घ) सभा की चल-अचल संपत्ति का विवरण तैयार करना, सभा के आजीवन सदस्यों की सूची तैयार करना कि आजीवन सदस्य की मृत्यु की अधिकारिक सूचना प्राप्त होने पर, निष्काषित होने अथवा सदस्य द्वारा स्वेच्छा से सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने पर उस आजीवन सदस्य का नाम सभा की आजीवन सदस्यता सूची से प्रशासनिक रूप से हटाकर सभा की नयी संशोधित आजीवन सदस्यता सूची तैयार कर सभा चुनाव के लिये चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ङ.) सभा के सभी करारनामों/अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना, सभा की वार्षिक गतिविधियों का विवरण तैयार कर महासमिति की बैठक में प्रस्तुत करना, महासमिति की सूचना पत्र द्वारा मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल साइट द्वारा सभा के सभी आजीवन सदस्यों को देना।

- (च) सभा के कार्य के लिए एक समय में अधिकतम 10,000/- रुपये की धन राशि खर्च कर सकेंगे परन्तु कार्यकारिणी की आगामी बैठक में इसका विवरण प्रस्तुत कर स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
- (छ) सभा की समस्त गतिविधियों की सूचना समय-समय पर अध्यक्ष को देना व अध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारिणी, महासमिति व सलाहकार मण्डल की बैठकों को बुलाना।
- (ज) अन्य सहयोगी सचिवों एवं कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य/सदस्यों व उप-समितियों को आवश्यकता पड़ने पर कोई भी अतिरिक्त कार्य सौंपना और समय-समय पर उनके कार्यों की समीक्षा करना व दिशा-निर्देश देना।
- (झ) निरीक्षक की रिपोर्ट, वार्षिक कार्य-कलापों की रिपोर्ट एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी योजना व कार्य को कार्यकारिणी में और बाद में महासमिति से अनुमोदन करवाना।



CERTIFIED COPY

N. S. Negi
Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Rajesh
Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Maithani
Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

(ज) सभा के सभी कार्यक्रमों, बैठकों व महासमिति की बैठकों का संचालन करना।

(iv) सचिव :-

महासचिव के सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग करना एवं महासचिव की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों एवं दायित्वों का निष्पादन करना।

(v) कोषाध्यक्ष :-

(क) सभा के आय-व्यय का हिसाब-किताब नियमित रूप से रखना। तथा उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होना। कार्यकारिणी की मासिक बैठकों व महासमिति की बैठक में आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एवम् अनुमोदित करवाना।

(ख) आय-व्यय का विवरण निश्चित अवधि में आंतरिक लेखा निरीक्षक मण्डल से जांच करवाना तथा आय-व्यय के हिसाब-किताब में पूर्ण पारदर्शिता रखना।

(ग) सभा के आय-व्यय के विवरण इत्यादि को सभा द्वारा नियुक्त चार्टर्ड-एकाउटेन्ट से निश्चित अवधि में ऑडिट/निरीक्षण करवाना।

(घ) दैनिक व्यय के लिए अधिकतम दस हजार रुपये की धन राशि अपने पास रखना तथा खर्च की गई धन राशि को कार्यकारिणी में स्वीकृत करवाकर उसका रिकॉर्ड रखना और शेष धन को बैंक में जमा कराना अनिवार्य होगा।

(ङ) सभा के आय-व्यय से सम्बन्धित समस्त मूल दस्तावेज जैसे :- चैकबुक, पासबुक, पैन कार्ड, आयकर सहित सभी रिटर्नों को खाता-बही, वॉउचर्स, बिलों को अपडेट कराने के साथ-साथ जी.एस.टी. का निष्पादन कर सुरक्षित रखना।

(च) समय-समय पर सभा की समस्त वित्तीय स्थिति से सभा के अध्यक्ष एवम् महासचिव को अवगत कराना एवम् अध्यक्ष व महासचिव से वित्तीय मामलों पर परामर्श लेना अनिवार्य होगा।



CERTIFIED COPY

(vi) उप-कोषाध्यक्ष :

कोषाध्यक्ष के सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग करना एवं कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उक्त सभी कार्यों एवं दायित्वों का निष्पादन करना।

(vii) संगठन सचिव :-

सभा की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार व संगठनात्मक स्वरूप के लिए कार्य करना। कार्यकारिणी की स्वीकृति से अन्य कार्यों का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। समय-समय पर कार्यकारिणी के सम्मुख अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

N. S. Negi
Narender Singh Negi
President
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

9
Rana
Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Maithani
Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

(viii) सांस्कृतिक सचिव :

सभा में समय-समय पर सांस्कृतिक समारोह, शिविरों व नाट्यशालाओं का आयोजन कार्यकारिणी की स्वीकृति से आयोजित करवाना अनिवार्य होगा। सभा के अन्य कार्यों में सहयोग करना तथा समय-समय पर कार्यकारिणी के सम्मुख अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ix) साहित्यिक सचिव :-

सभा के साहित्यिक व शैक्षणिक कार्यों का आयोजन कार्यकारिणी की स्वीकृति से आयोजित करवाना अनिवार्य होगा एवम् गढ़वाल भवन में सभा द्वारा संचालित पुस्तकालय का सुचारू रूप से संचालन करना भी साहित्यिक सचिव का दायित्व होगा। समय-समय पर कार्यकारिणी के सम्मुख अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(x) खेल सचिव :-

सभा में खेल-कूद, योगा कार्यक्रमों का आयोजन कार्यकारिणी की स्वीकृति से आयोजित करवाने के साथ-साथ सभा के अन्य कार्यों में सहयोग करना। समय-समय पर कार्यकारिणी के सम्मुख अपने कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

10. वित्तीय वर्ष :-

सभा का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च होगा।

11. बैंक में खाता :-

(क) सभा का जमा-खाता दिल्ली स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में ही होगा।

(ख) बैंक से धन निकासी के लिये बैंक चैक पर कोषाध्यक्ष के साथ अध्यक्ष एवं महासचिव में से किसी एक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे।

(ग) सभा के खर्चों के सभी बाउचरों पर अध्यक्ष, महासचिव एवम् कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे।

12. आय के साधन :-

- सदस्यता शुल्क द्वारा
- सरकारी एवम् गैर-सरकारी संस्थानों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान
- एवम् अन्य स्रोतों से

13. लेखा परीक्षण/ऑडिट :-

सभा का ऑडिट निम्नलिखित प्रकार से करवाया जाएगा :-

(क) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त सभा का कोई भी आजीवन सदस्य सभा के आय-व्यय/लेखा-बही का आंतरिक लेखा निरीक्षक होगा।



CERTIFIED COPY

N.S. Negi
Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Rajesh
Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Pawan Kumar Maithani
Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

- (ख) आंतरिक लेखा निरीक्षक सभा के आय-व्यय/लेखा-बहियों की प्रति-माह जाँच करेगा और अपनी रिपोर्ट कार्यकारिणी को प्रस्तुत करेगा। आंतरिक लेखा-निरीक्षक कार्यकारिणी सदस्यों में से नहीं होगा।
- (ग) चार्टर्ड एकाउटेन्ट से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त लेखा-पुस्तकों का ऑडिट करवाकर इसे कार्यकारिणी एवं महासमिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (घ) चार्टर्ड एकाउटेन्ट कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त किया जायेगा। जिसका कार्यकाल एक वित्तीय वर्ष होगा, जिसको भविष्य में कार्यकारिणी घटा व बढ़ा भी सकती है। चार्टर्ड एकाउटेन्ट की नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये ही होगी। चार्टर्ड एकाउटेन्ट की नियुक्ति की पुष्टि महासमिति की बैठक में करवाना अनिवार्य होगा।

14. महासमिति :-

- (क) सभी आजीवन सदस्य महासमिति के सदस्य होंगे।
- (ख) महासमिति की ^{बैठक} वर्ष में एक बार आहूत करनी अनिवार्य होगी।
आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैठक भी आयोजित की जा सकती है।
- (ग) महासमिति द्वारा लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे तथा सभा के सभी आजीवन सदस्यों व कार्यकारिणी पर लागू होंगे।
- (घ) महासमिति की बैठक की सूचना पत्र एवं आधुनिक संचार साधनों द्वारा तीन-सप्ताह पूर्व देनी अनिवार्य होगी।
- (ङ.) एक-तिहाई (1/3) सदस्यों की लिखित मांग पर किसी खास विषय या मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए आम सभा की विशेष बैठक (असाधारण बैठक) बुलाई जा सकती है। जिसमें उसी विषय/मुद्दे पर चर्चा होगी।
- (च) महासमिति की बैठक की अध्यक्षता सभा के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में आम सभा बैठक में से ही आम सहमति से किसी भी सदस्य को अध्यक्षता के लिए चुना जा सकता है। लेकिन महासचिव एवं सचिव को अध्यक्षता के लिए नहीं चुना जाएगा।
- (छ) बैठक शुरू होने के कम से कम 12 घंटे पूर्व प्रश्न से संबंधित सूचना महासचिव को लिखित में देनी होगी। अध्यक्ष द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में 12 घंटों के समय में छूट दी जा सकती है।
- (ज) सभी प्रस्ताव मतदान द्वारा बहुमत से पारित होंगे। मतदान हाथ उठाकर या मत पत्र द्वारा, अध्यक्ष जैसा भी उचित समझें करा सकते हैं। परन्तु जिस विषय पर सदस्य का अपना हित समाहित हो, उस में वह मत नहीं दे सकेगा।
- (झ) बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा परन्तु जिस विषय पर सदस्य का अपना हित समाहित हो उस में वह मत नहीं दे सकेगा। सदस्य के मत देने न देने के सम्बन्ध पर अगर कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
- (ञ) आम सभा में किसी विषय पर मतदान होने पर यदि बराबर मत पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
- (ट) पिछली महासमिति के मिनिट्स का अनुमोदन एवम् पुष्टि करना।



CERTIFIED COPY

N. S. Negi
Narender Singh Negi
President
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

15. महासमिति के कर्तव्य एवम् अधिकार:-

- (क) महासमिति में महासचिव की रिपोर्ट पर चर्चा करना एवम् अनुमोदन करना।
- (ख) कोषाध्यक्ष द्वारा सभा के लेखा-जोखा पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा एवम् अनुमोदन करना।
- (ग) आवश्यकतानुसार सभा की नियमावली में संशोधन करना। सभा संविधान के नियमों एवं उप-नियमों में संशोधन कार्यकारिणी में 1/2 बहुमत से पास की गई नियमावली/नियम एवं उप नियम संशोधन, महासमिति में कुल उपस्थित संख्या के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (घ) कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा कर अनुमोदित करना।
- (ङ.) किसी विवादास्पद स्थिति से निपटने के लिए उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन करना।
- (च) वर्तमान/निर्वाचित कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य सभा में किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता।
- (छ) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना।
- (ज) महासमिति आम सहमति से भी सभा की नई कार्यकारिणी का गठन कर सकती है।
- (झ) महासमिति को सभा की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिये बैठक में उपस्थित सदस्यों से हाथ उठवाकर (रेजिंग ऑफ हैंड) अथवा गुप्त मतदान में से किसी भी एक प्रक्रिया की स्वीकृत देने का भी अधिकार होगा।

16. गणपूर्ति :- महासमिति की बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 3/5 अथवा 100 सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी, अन्यथा बैठक को आधे घंटे के लिए स्थगित कर, तत्पश्चात् आहूत बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या को ही गणपूर्ति (पूरा-कोरम) माना जायेगा।

17. न्यायिक प्रक्रिया :-

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एवम् अन्य कानूनों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में यदि न्यायालय में सभा को किसी भी प्रकार का कोई मुकद्दमा आदि दायर करना पड़ा तो वह सभा के नाम से दायर किया जाएगा। सभा के नाम से मुकद्दमा दायर करने का अधिकार केवल अध्यक्ष/महासचिव अथवा कार्यकारिणी के द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को ही होगा।

18. चुनाव प्रक्रिया :-

महासमिति सभा के चुनाव कराने हेतु चुनाव अधिकारी का चयन करेगी, महासभा द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी अपने सहयोग के लिए सभा के आजीवन सदस्यों में से किन्हीं दो आजीवन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आम सभा द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी को सभा के चुनाव सम्पन्न कराने हेतु सभा मानदेय भी दे सकती है। चुनाव प्रक्रिया एवम् आचार संहिता का निर्णय चुनाव अधिकारी द्वारा लिया जायेगा जो कि सभी आजीवन सदस्यों को मान्य होगा।

19. कार्यभार संबंधी प्रक्रिया :-

चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात् नि-वर्तमान कार्यकारिणी को सभा के सभी दस्तावेज/लेखा-जोखा नव-निर्वाचित कार्यकारिणी को सात दिन के अन्दर कार्यभार के रूप में हस्तांतरण करना होगा।



CERTIFIED COPY

N. S. Negi
Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

12

R. Rana
Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Maithani
Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

20. अनुशासनात्मक कार्यवाही :-

- (क) कार्यकारिणी बहुमत से किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य (निर्वाचित अथवा पदेन) की अनुशासनहीनता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। इसके लिए लिखित रूप में आरोपों के साथ पन्द्रह दिन अथवा विशेष परिस्थिति में एक सप्ताह का समय आरोपित सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए देना होगा।
- (ख) कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का प्रस्ताव सीधे महासमिति के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकता। महासमिति के सम्मुख प्रस्तुत करने से पूर्व उस प्रस्ताव को पहले कार्यकारिणी में विचार-विमर्श के लिये रखना आवश्यक होगा और कार्यकारिणी की असहमति होने पर उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। यदि वह उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (ग) ऐसे सदस्य जो कार्यकारिणी की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताए अनुपस्थित रहेंगे, उनका स्थान रिक्त समझा जाएगा और उनके स्थान पर कार्यकारिणी किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकेगी।
- (घ) सभा का आजीवन सदस्य यदि किसी भी प्रकार से सभा को क्षति एवम् नुकसान पहुँचाता है, तो सभा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 एवम् अन्य नियम व विनियम के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा साथ ही सभा को ऐसे सदस्य की आजीवन सदस्यता को निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त होगा। जिसका अनुमोदन महासमिति से करवाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में सदस्य को चुनाव लड़ने व मत देने का अधिकार नहीं होगा।

21. शिकायत निवारण :-

सभा से सम्बन्धित किसी भी मामले को चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, कोई भी सदस्य सीधे तौर पर न्यायालय में नहीं ले जा सकेगा। अपितु सदस्य उसे सीधे सभा की शिकायत निवारण समिति को साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करेगा/करेगी तथा इस समिति को अपना निर्णय एक माह के भीतर देना अनिवार्य होगा। शिकायत निवारण समिति का गठन कार्यकारिणी के द्वारा होगा, जिसके कम से कम पाँच सदस्य होंगे। शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर सदस्य उस निर्णय को कानूनी तौर पर दिल्ली क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में नियमानुसार ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन सीधे तौर पर न्यायालय में ले जाने वाले सदस्य के खिलाफ सभा संविधान में वर्णित क्रमांक 20 (अनुशासन) के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।

22. अविश्वास प्रस्ताव :-

- (क) महासमिति दो-तिहाई बहुमत से सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इसके लिए संविधान में वर्णित क्रमांक 20 (अनुशासन) के अनुसार प्रक्रिया चलेगी। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए एक माह का समय और महासमिति के कम से कम 200 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव में होने अनिवार्य होंगे। कार्यकारिणी दो माह के



CERTIFIED COPY

N.S. Negi
Narender Singh Negi
President

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer

Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001

Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001

भीतर इस विषय में अपना निर्णय महासमिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। महासमिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(ख) कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को महासमिति में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत होने पर हटाया/निष्कासित किया जा सकेगा।

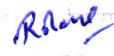
23. क्षतिपूर्ति :-

सभा का कोई भी सदस्य सभा के धन एवं चल-अचल सम्पत्ति को अपने निजी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसे सदस्य को सभा से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसके द्वारा इस्तेमाल सम्पत्ति का मूल्यांकन कर उससे ब्याज सहित वसूल किया जाएगा। जिसे न देने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

24. विघटन :-

महासमिति के कम-से-कम 3/5 सदस्यों की सहमति से संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार सभा का विघटन भी किया जा सकता है।


Narender Singh Negi
President
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001


Shri Rajesh Singh Rana
Treasurer
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road,
New Delhi-110001


Pawan Kumar Maithani
General Secretary
Garhwal Hiteshini Sabha (Regd.)
Garhwal Bhawan, Panchkuian Road
New Delhi-110001



CERTIFIED COPY

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21, पंजाब संशोधन अधिनियम की धारा 1957 के अधीन गढ़वाल हितैषिणी सभा (रजि०), दिल्ली की वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवम् सदस्यों के नाम, पद, पते एवम् व्यवसाय निम्नलिखित हैं, जिनको कि गढ़वाल हितैषिणी सभा (रजि०) के व्यवस्था सम्बन्धी दायित्व सौंपे गये हैं :-

क्र० सं०	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी	अध्यक्ष (30 सितंबर-2020 से)	ए-46ए, शालीमार गार्डन विस्तार-2 साहिबाबाद, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	सामाजिक कार्यकर्ता
2.	श्री पवन कुमार मैठाणी	महासचिव	फ्लैट्स न० 51डी, पॉकेट-बी दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095	नौकरी
3.	श्री अजय सिंह बिष्ट	संयुक्त सचिव	C-5, एमसीडी फ्लैट्स, स्वामी नगर नई दिल्ली-110017	नौकरी
4.	श्री राजेश सिंह राणा	कोषाध्यक्ष	आई.-278, कर्मपुरा, नई दिल्ली-110015	व्यवसाय
5.	श्री आजाद सिंह नेगी	कार्यकारिणी सदस्य	128, सेक्टर-35 अशोका एन्क्लेव मेन फरीदाबाद, हरियाणा-121003	सामाजिक कार्यकर्ता
6.	श्री वीर सिंह रावत	कार्यकारिणी सदस्य	A-26 सृजन विहार, न्याय खंड-2 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014	नौकरी
7.	श्री देवेन्द्र सिंह गुसाईं	कार्यकारिणी सदस्य	685, सेक्टर-2 टाइप-2, सादिक नगर नई दिल्ली-110049	नौकरी
8.	श्री देवेन्द्र सिंह रावत	कार्यकारिणी सदस्य	D-195, गली नंबर-8, लक्ष्मी नगर दिल्ली-110092	नौकरी
9.	श्री गंभीर सिंह कैतुरा	कार्यकारिणी सदस्य	81, एच-ब्लॉक, न्यू पालम विहार फेस-1 गुरुग्राम, हरियाणा	व्यवसाय
10.	श्री गुलाब सिंह जायड़ा	कार्यकारिणी सदस्य	56 वीनस अपार्टमेंट, इंदर इन्क्लेव रोहतक रोड, नई दिल्ली-110087	सेवानिवृत्त
11.	श्री जय सिंह राणा	कार्यकारिणी सदस्य	C-3, गावड़ी विस्तार, सुदामापुरी घोंडा दिल्ली-110053	सेवानिवृत्त
12.	श्री मुरारीलाल लाल खंडूड़ी	कार्यकारिणी सदस्य	A-60/9-A, नॉर्थ नैना देवी मार्ग वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली-110092	सेवानिवृत्त



CERTIFIED COPY

13.	श्री नागेंद्र प्रसाद कंसवाल	कार्यकारिणी सदस्य	C-205, सेक्टर-1, अंवतिका, रोहिणी दिल्ली-110085	नौकरी
14.	श्री प्रमोद अधिकारी	कार्यकारिणी सदस्य	124/J, सेक्टर-22 नोएडा उत्तर प्रदेश-201301	नौकरी
15.	श्री पूरन सिंह नेगी	कार्यकारिणी सदस्य	75, ब्लॉक B-1, न्यू अशोक नगर दिल्ली-110096	नौकरी
16.	श्री राजेंद्र प्रसाद चमोली	कार्यकारिणी सदस्य	21, गोपाल चेंबर 76-A, रानी झांसी रोड नई दिल्ली-110055	नौकरी
17.	श्री राजेश कुमार डंडरियाल	कार्यकारिणी सदस्य	1-7/76, सेक्टर-18, रोहिणी नई दिल्ली-110085	व्यवसाय
18.	श्रीमती संयोगिता ध्यानी	कार्यकारिणी सदस्य	RZ-26P/141A, गली नंबर-42 इंदिरा पार्क, पालम कालोनी नई दिल्ली-110045	लोक-कलाकार
19.	श्री शैलेंद्र सिंह नेगी	कार्यकारिणी सदस्य	A-6, सृजन सहकारी आवास समिति सृजन विहार न्याय खंड-2 इंदिरापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014	नौकरी
20.	श्री सतीश चंद्र गौनियाल	कार्यकारिणी सदस्य	E-144, किदवई नगरनई दिल्ली-110023	नौकरी
21.	श्री सुरेंद्र सिंह गुसाई	कार्यकारिणी सदस्य	C-72, चिन्योट बस्ती, नवी करीम पहाड़गंज, दिल्ली-110055	व्यवसाय
22.	श्री वीरेंद्र सिंह नेगी-I	कार्यकारिणी सदस्य	C-355, ब्लॉक नंबर-8 अल्बर्ट स्क्वायर, गोल मार्किट नई दिल्ली-110001	नौकरी
23.	श्री वीरेंद्र सिंह नेगी-II	कार्यकारिणी सदस्य	199, सेक्टर-19, पॉकेट-3 द्वारका, नई दिल्ली-110075	नौकरी
24.	श्री अर्जुन सिंह	मनोनीत सदस्य	C-437, अल्बर्ट स्क्वायर गोल मार्किट, नई दिल्ली-110001	नौकरी
25.	श्री बिशन सिंह राणा	मनोनीत सदस्य	A-42, एकता विहार, जैतपुर, विस्तार बदरपुर, नई दिल्ली-110044	सेवानिवृत्त
26.	श्री धन सिंह नेगी	मनोनीत सदस्य	A-53, एकता विहार, जैतपुर विस्तार बदरपुर, नई दिल्ली-110044	सेवानिवृत्त
27.	श्री जगत सिंह असवाल	मनोनीत सदस्य	151, ब्लॉक-H, सेक्टर-17 वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201012	सेवानिवृत्त
28.	श्री जोत सिंह भंडारी	मनोनीत सदस्य	C-147-V, भगवती विहार उत्तम नगर, नई दिल्ली-59	व्यवसाय


 CERTIFIED COPY

गढ़वाल हितैषिणी सभा (पंजी.)दिल्ली

संविधान संशोधन समिति-2019

1.	सर्व	श्री मोहबत सिंह राणा	-	सदस्य
2.	"	महावीर सिंह राणा	-	"
3.	"	शिवचरण सिंह रावत	-	"
4.	"	वासवानन्द ढौंडियाल	-	"
5.	"	सतीश शर्मा (नौडियाल)	-	"
6.	"	महावीर सिंह केमवाल	-	"
7.	"	भगत सिंह नेगी	-	"
8.	"	नारायण सिंह रावत	-	"
9.	"	सूरत सिंह रावत	-	"
10.	"	नरेन्द्र सिंह नेगी	-	"
11.	"	अजय सिंह बिष्ट	-	"
12.	"	राजेश राणा	-	"
13.	"	गुलाब सिंह जायड़ा	-	"
14.	"	शैलेन्द्र सिंह नेगी	-	"
15.	"	वीरेन्द्र सिंह नेगी(बिन्नी)	-	"
16.	"	पवन कुमार मैठाणी	-	सदस्य-सचिव



CERTIFIED COPY